संख्या-8-2023-डीएफए-512149-38-7099-99-73-2022

प्रेषक,

सुखलाल भारती,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2023

http://shasanadesh.up.gov.in

विषय:- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत आवंटित प्रशासनिक मद के लेखाशीर्ष-4515001020203 में कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मनरेगा/पत्रासं0-281/लेखा/आवंटन/2443/2023-24, दिनांक-14.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-14037/07/2022-आरई-।(एसएल.नं0-12), दिनांक: 19-06-2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में अवमुक्त धनराशि रू0 68,89,22000/-(रूपये अड़सठ करोड़ नवासी लाख बाइस हजार मात्र) की बजट व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्ष-4515001020201 से प्रशासनिक मद हेतु आवंटित लेखाशीर्ष-4515001020203 में कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनरेगा योजनान्तर्गत भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक: 19-06-2023 द्वारा प्रशासनिक मद में अवमुक्त रू0 68,89,22000/-(रूपये अड़सठ करोड़ नवासी लाख बाइस हजार मात्र) की धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग (बीएम-9 प्रपत्र संलग्न) के माध्यम से योजनान्तर्गत उक्त धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।
2. प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
3. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट

http://shasanadesh.up.gov.in

मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4. योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
5. धनराशि के आहरण व व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा-निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में भारत सरकार के पत्र/स्वीकृत आदेश दिनांक 19-06-2023 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasnadesh.up.gov.in

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-27/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 68,89,22000/-(रूपये अड़सठ करोड़ नवासी लाख बाइस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 के "लेखाशीर्ष-4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर परिव्यय 102-सामुदायिक विकास उपशीर्ष 02- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष-03- प्रशासनिक व्यय(के.100/रा.00-के.)-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-27/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार एवं वित्त विभाग के आर.ई.संख्या-बजट-1-30, दिनाँक 25.07.2023 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

सुखलाल भारती
विशेष सचिव।

संख्या- 8-2023-DFA-512149-38-7099-99-30-2023तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री धर्मवार झा, निदेशक(मनरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त,), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक ) अनुभाग-2
10. राज्य योजना आयोग-1/2
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-3
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुखलाल भारती
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in